तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2019	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 74/2016 अनवान आईचुकी बनाम जेठाराम के कायम मुकाम गोपाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकुलाय उपस्थित। प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीनी ने इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बड़लानगर, पटवार हल्का झंवर, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर के खेत खसरा नं. 490 रकबा 2 बिस्वा किस्म गे.मु.ढाणी, खसरा नं. 491 रकबा 70 बीघा किस्म बारानी प्रथम आई हुई हैं। उक्त भूमि की खातेदारी कालूराम के नाम थी कालूराम का देहान्त पश्चात् उक्त खातेदारी कालूराम के चार पुत्र भंवराराम, जेठाराम, पताराम व मोहनराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई। चारो वारिसानो का बराबर बराबर 1/4 —1/4 हिस्सा हैं राजस्व रेकर्ड में भी इन खातेदारो का हिस्सा दर्ज हैं। भंवराराम, जेठाराम व मोहनराम का देहान्त हो चुका हैं उनके वारिसान् प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/5 व 3 से 9/6 हैं उक्त भूमि कालूराम के नाम होने के कारण पैतृक भूमि हैं। प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह बताया कि प्रार्थीनी का एक मकान वादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में एक रहवासीय मकान बना हुआ हैं। जो वादग्रस्त भूमि के अन्दर से होकर एक कच्चा रास्ता बना हुआ हैं प्रार्थीया को अपने मकान में आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जाने नहीं देते हैं रास्ता रोक रखा हैं तथा उक्त संयुक्त खातेदारी का बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं अप्रार्थी उक्त भूमि को बेचान करने की धमकिया दे रहे हैं इस कारण ता फैसला दावा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया व अप्रार्थी संख्या 3 से 9/6 की ओर से भी जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। यह निवेदन किया कि व प्रार्थीनी का एक मकान उक्त खसरे में बना हुआ हैं तथा उक्त भूमि संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं तथा बाईमीटस एवं बाउन्टस बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। प्रार्थीनी को अपने मकान पर आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रास्ता रोक रहे हैं। प्रार्थीनी विधवा औरत हैं इस कारण अप्रार्थीगण 1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी अप्रार्थीगण 3 से 7 को अपने पिता व पति के हिस्से से भूमि प्राप्त हुई हैं उक्त रहवासी मकान में आने जाने एवं उपयोग करने हेतु अप्रार्थी बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं तथा अप्रार्थीगण 1 व 2 अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने की धमकिया दे रहे हैं इस कारण प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौके की व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवदेन किया तथा बेचान व	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

हस्तानन्तरण उक्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नहीं करने का निवेदन किया।

जवाब में अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 व 2 नें अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त भूमि संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं तथा आज दिनांक तक बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं प्रार्थीनी ने बिना बंटवाड़ा किये हुये मकान का निमार्ण करवाया हैं संयुक्त सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक व्यक्ति का इंच–इंच भूमि पर हक व अधिकार होता हैं इस कारण प्रार्थीनी का यह कहना गलत हैं कि अप्रार्थी 1 व 2 को अपने मकान में आने जाने का रास्ता रोक रहे हैं उक्त भूमि प्रार्थीनी के स्वयं की खरीदसुदा खातेदारी भूमि नहीं हैं इस कारण मौके की यथास्थिति प्रार्थीनी उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र से प्राप्त नहीं कर सकती हैं क्योंकि सभी सह खातेदारो का संयुक्त खातेदारी में हक व अधिकार होता हैं।

अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि उक्त संपति संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 व 2 रिकॉर्डेड खातेदार हैं रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जा सकती इस कारण प्रार्थीनी अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 व 2 को अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने से नहीं रोक सकती क्योंकि उक्त भूमि के अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार हैं इस कारण प्रार्थीनी अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त भूमि का बैचान नहीं करने के जारी नहीं करवा सकती।

अप्रार्थी संख्या 3 से 9/6 ने अपनी बहस में प्रार्थीनी के अधिवक्ता की बहस का समर्थन किया तथा यह निवेदन किया कि उक्त भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं तब तक वादग्रस्त भूमि की मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे तथा कोई पक्षकार बैचान हस्तानान्तरण नहीं करे।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया कि उक्त भूमि प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। उक्त भूमि पर सभी सहखातेदारो का इंच–इंच भूमि पर कब्जा व काश्त होता हैं इस कारण मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाना उचित नहीं हैं तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकोर्डेड खातेदार हैं, रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती क्योंकि एक खातेदार अपने हक व हिस्से का बैचान कर सकता हैं इसके समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 व 2 ने निर्णय नजीर आर.आर.टी. 2016 पार्ट–2 पेज 1323 व आर.आर.डी. 2004 पेज 65 प्रस्तुत की हैं। चुंकि उक्त आराजी से सम्बन्धित मूल दावा प्रकरण संख्या 84/2016 में दिनांक 09.12.2019 को प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी होकर बटवाडा प्रस्ताव मंगवाये गये है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। एवं उक्त प्रकरण में दिनांक 22.11.2016 को जारी आदेश निरस्त है पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

09/12/19

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner